[7/8/2025] पी-37

प्रश्न सं. [क्र. 2229]

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

आयुक्त कक्ष

क्र.108.../आ.क./2022 भोपाल, दिनांक.07/02/23

प्रति,

सचिव
अरण्यावली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,
भोपाल

विषय :- स्नेह नगर कॉलोनी में प्रस्तावित बैरल का कार्य बावत।

सन्दर्भ :- बोधी का पत्र क्र.2871/881/Canal/Bodhi भोपाल दिनांक 20.10.2022 एवं आपका पत्र क्र.492 दिनांक 29.11.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा आपकी संस्था से पूर्व में प्राप्त पत्र दिनांक 10.11.2021 एवं 03.02.2022 के तारतम्य में नगर निगम भोपाल के पत्र दिनांक 15.03.2022 एवं दिनांक 26.09.2022 के प्रकाश में मुख्य अभियंता ब्यूरो ऑफ़ डिजाईन फॉर हाईड्रल एंड ऐरिगेशन(बोधी), भोपाल द्वारा संलग्न पत्र क्र.2871 दिनांक 20.10.2022 द्वारा उनके पत्र के पत्र के सहपत्र Annexure 01, Annexure 02, संचालक(हाइड्रोलॉजी), बोधी, MPWRD भोपाल का प्रतिवेदन, Table-02 of IS 7784 (PART-01) तथा Table-05 of IS 7784 (PART-01) के साथ अरण्यावली गृह निर्माण सहकारी संस्था से गुजरने वाले चैनल का सेक्शन 6.0मी.X 3.5 मी. (0.50मी. फ्री बोर्ड सहित) कांक्रीट ग्रेड M-30 एवं बैड़ स्लोप 1:500 रखें जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः बोधी के संलग्न पत्र क्र.2871 दिनांक 20.10.2022 के सहपत्रों का पालन कर ओपन चैनल का उपरोक्तानुसार क्रॉस-सेक्शन रखा जाकर निर्माण कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(व्ही.एस. चौधरी कोलसानी)
आई.ए.एस.
आयुक्त
नगर निगम भोपाल

सहायक यंत्री (सिविल)
नगर निगम भोपाल

Received.
7/2/2023
अरण्यावली गृह निर्माण
संस्था भोपाल
8989717160

Sub-Engineer
Urban Administration
& Development

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल
यांत्रिक विभाग जोन क्र.13 स्वामी विवेकानंद, अमराई

भोपाल, दिनांक ..12../..07../2025

क्र...96./यां.वि./2025

प्रति,

अध्यक्ष ,
अरण्यावली गृह निर्माण सहकारी संस्था,
भोपाल

विषय :-अरण्यावली गृह निर्माण सहकारी संस्था कॉलोनी में ओपन चैनल को कवर किये जाने के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ :- इस कार्यालय के पत्र क्र.108 दिनांक 07.02.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से मुख्य अभियंता ब्यूरो ऑफ़ डिजाईन फॉर हाईड्रल एवं ऐरिगेशन (BODHI) के पत्र क्र.2871 दिनांक 20.10.2022 के परिपालन में संलग्न संदर्भित पत्र के अनुसार पत्र में संलग्न सहपत्रों का पालन कर ओपन चैनल रखा जाकर निर्माण कार्य किये जाने हेतु लेख किया गया था | स्थल निरिक्षण में पाया गया कि आपके द्वारा लगभग 80x4.0 वर्ग.मी. क्षेत्रफल में RCC स्लैब डालकर नाले पर ओपन चैनल के स्थान पर चैनल को कवर्ड कर प्रदत्त स्वीकृति के विरुद्ध कार्य किया गया है |

अतः इस कार्यालय के पत्र क्र.108 दिनांक 17.02.2023 में उल्लेखित निर्देशानुसार स्थल पर चैनल के ऊपर डाले गये स्लैब को हटाकर ओपन चैनल रखें जाने का कष्ट करें |

संलग्न :-उपरोक्तानुसार

सहायक यंत्री (सिविल)
प्रदीप कुमार जोशी
नगर निगम (भोपाल)
सहायक यंत्री (सिविल)
नगर निगम भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

O/C

सहायक यंत्री (सिविल)
नगर निगम भोपाल

Satpura S.O (462004) India Post
SP EI731761567IN, IVR No:180026660
25/07/2025 10:54:38, Counter No.1
To: MP LAGHUUPAJ SANGH
C.T.T.Nagar , MADHYA PRAD - 462003
From: NAGAR PALIKA-462043
Base Amt: 15.00,
Wt:10(Actual)gms
P.Mode:Cash,

POD:No www.indiapost.gov.in

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

यांत्रिक विभाग जोन क्र.13 स्वामी विवेकानंद, अमराई

क्र.40/यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 27/07/2025

प्रति,

थाना प्रभारी,
थाना मिसरोद, भोपाल

विषय :- अरण्यावलि गृह निर्माण संस्था द्वारा ओपन नाले पर स्लैब डालने के कारण F.I.R. की कार्यवाही सम्बन्धी। (प्रकरण दर्ज करने हेतु)

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के समबन्ध मे लेख है कि अरण्यावली गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल द्वारा, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल द्वारा ग्राम मिसरोद खसरा क्र.354, 350 तथा 347/1/1/12 कुल रकबा 4.64 एकड़ पर स्वीकृत अभिन्यास क्र.3148 दिनांक 15.09.2003 अनुमोदित अभिन्यास में दर्शित चैनलाइज नाले को निर्माण किये जाने सम्बन्धी दिए आवेदन पर, मुख्य अभियंता ब्यूरो ऑफ़ डिजाईन फॉर हाईड्रल एवं ऐरिगेशन (BODHI) से प्राप्त तकनिकी परिक्षण के आधार पर 6.0 मी. x 3.5 मी. का क्रॉससेक्शन रखते हुए ओपन चैनल निर्माण की अनुमति दी गई थी। संस्था द्वारा जारी स्वीकृति के विपरीत ओपन चैनल नाले के लगभग 80X4.00 व.मी.क्षेत्र में RCC स्लैब डालकर पक्का निर्माण किया गया है। अरण्यावली गृह निर्माण सहकारी संस्था होशंगाबाद रोड स्थित वार्ड क्र 52 जोन क्र.13 स्नेह नगर एवं मोहिनिदीप के सपिम स्थित है।

अतः कृपया अध्यक्ष /सचिव अरण्यावली गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल, मध्यप्रदेश लघुउपज संघ, व्यापर एवं विकास मर्यादित भोपाल, तुलसी नगर वन भवन 1ST फ्लोर भोपाल के विरुद्ध स्वीकृति के विपरीत नाले के ऊपर स्लैब डालकर कवर किये जाने के कारण IPC की सुसंगत धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने का अनुरोध है।

संलग्न :- 1. संस्था का नाला निर्माण सम्बन्धी आवेदन
2. नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल का स्वीकृत अभिन्यास
3. नगर निगम भोपाल का पत्र क्र.108 दिनांक 07.02.2023
4. संस्था द्वारा किये नाले पर डाले स्लैब को दर्शाता मानचित्र
5. नगर निगम भोपाल द्वारा संस्था को जारी पत्र

27/7/25
सहायक यंत्री(सिविल)
जोन क्र.13
नगर पालिक निगम भोपाल

Sub-Engineer
Urban Administration
& Development

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग